

प्रपत्र छः (नियम 6 का उपनियम 6 देखिये)
शू- विकास परमिट के अन्तिम अनुमोदन का प्रपत्र

प्राप्तक

नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र,
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

1-मेधा बिल्डर्स

(द्वारा पार्टनर्स-श्री संजय गुप्ता, संतोष कुमार, सिद्धेश कुमार पोंडे आदि)

2-अनीता गुप्ता पत्नी के०के० गुप्ता, नि० दीवान जोगराज, शाहजहाँपुर।

3-अंकित गुप्ता पुत्र कृष्ण कुमार गुप्ता, नि० दीवान जोगराज, शाहजहाँपुर।

4-सरिता सिंह पत्नी अभय कुमार सिंह, कुरिया कलौ, तहसील सदर, शाहजहाँपुर।

5-ऊषा देवी पत्नी प्रदीप कुमार त्रिवेदी, नवादा इन्देपुर, शाहजहाँपुर।

6-इन्द्र मोहिनी पत्नी संदीप कुमार शुक्ला नवादा इन्देपुर, शाहजहाँपुर।

महोदय,

ग्राम अर्केश रसूलपुर परगना जमौर, तहसील सदर, जनपद शाहजहाँपुर के खसरा नं० 152, 158, 160 तथा ग्राम जलपुर के खसरा नं० 718 मि० 719 मि० 714, 715, 720, 721, 722, 723 एवं 725 के अन्तर्गत स्थित भूमि कुल क्षेत्रफल 1,5481 हे० अर्थात् 35.481 वर्ग मीटर पर आवासीय प्रयोजन से भूमि के उप-विभाजन एवं विकास कार्य की अनुज्ञा हेतु आपके आवेदन पत्र संख्या 04/2021=22 दिनांकित 12-04-2021 के साथ संलग्न विन्यास मानचित्र को निम्नांकित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1- यह अनुमति, स्वीकृति के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के लिये वैध है। इस अवधि में प्रस्तावित कालोनी के अन्दर प्राविधानित सभी विकास कार्यों को पूर्ण कराना होगा एवं विकास कार्य प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप छः पर प्रस्तुत करनी होगी।

2- स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही स्थल पर विकास एवं निर्माण कार्य अनुमत्य होगा। स्वीकृति के विपरीत किसी भी प्रकार का विकास एवं निर्माण अनुमत्य नहीं है। स्वीकृति के विपरीत विकास एवं निर्माण कार्य करने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

3- यदि किसी भी समय यह पाया गया कि यह स्वीकृति आपने किसी तथ्य को छुपाकर, कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त कर ली है, तो इस स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।

4- विन्यास मानचित्र, जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, केवल वही प्रयोग अनुमत्य होगा।

5- स्वामित्व सिद्ध करने के लिये विन्यास मानचित्र का उपयोग किसी भी न्यायालय में वैध नहीं समझा जायेगा अर्थात् मानचित्र की स्वीकृति संस्था के स्वामित्व का प्रमाण नहीं है।

6- राडक, सरकारी भूमि अथवा सर्विस लेन पर किसी प्रकार की कोई निर्माण सामग्री एकत्रित नहीं की जायेगी।

7- उ०प्र० राज्य बम नीति 1988 के अनुसार प्रस्तावित कालोनी में न्यूनतम 500 वृक्ष लगवाना अनिवार्य होगा।

8- विकास एवं निर्माण कार्य के दौरान विन्यास मानचित्र स्वीकृति से सम्बन्धित विवरण की पट्टिका स्थल के बाहर स्थापित कराना अनिवार्य होगा एवं स्थल पर स्वीकृत विन्यास मानचित्र की एक प्रति भी अनिवार्य रूप से रखना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा जाँच की जा सके।

निरन्तर..... (2)

 मजिस्ट्रेट/

नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र

- 9- समस्त निर्माण एवं विकास कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप सम्यक रूप से अर्हता प्राप्त वास्तुविद/अभियन्ता के तकनीकी पर्यवेक्षण में भूकम्प रोधी मानक एवं अनुदेशों के अनुसार कराना होगा। निर्माण एवं विकास कार्य के दौरान, कोई अप्रिय घटना घटित होने की स्थिति में, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- 10- प्रस्तावित विन्यास मानचित्र को आपके अनुबन्ध पत्र एवं बन्धपत्र में उल्लिखित विवरण के आधार पर प्रारम्भिक स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
- 11- प्रस्तावित विन्यास मानचित्र में प्रदर्शित सार्वजनिक उपयोग की व्यवस्था यथा-पार्क, सड़क व नाली आदि के स्थल पर स्वामित्व सौंपने हेतु सक्षम अभिकरण को नियमानुसार हस्तान्तरण की कार्यवाही की जायेगी तथा विकास के लिये निर्धारित शुल्क भी अदा करना होगा। अनुबन्ध पत्र एवं बन्ध पत्र के विपरीत कृत्य की स्थिति में स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
- 12- भूखण्डों का विक्रय स्वीकृत विन्यास मानचित्र के अनुसार ही किया जायेगा। विकीत भूखण्डों पर भवन निर्माण प्रारम्भ कराने से पूर्व प्रथक-प्रथक भवनों के मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा। विषयगत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी विषय का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। स्वामित्व सम्बन्धी विवाद होने की दशा में, स्वीकृत मानचित्र सक्षम न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा।
- 13- प्रस्तावित योजना में आन्तरिक विकास कार्यों को कराने की प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखे गये भूखण्डों सी-18 (141.71 वर्गमीटर), बी-10 (176.48 वर्गमीटर), बी-22 (229.69 वर्गमीटर) बी-23 (245.12 वर्गमीटर) सी-34 (181.89 वर्गमीटर) डी-23 (132.98 वर्गमीटर) डी-16 (139.81 वर्गमीटर) डी-17 (85.00 वर्गमीटर) डी-18 (103.75 वर्गमीटर) डी-19 (85 वर्गमीटर), डी-20 (85 वर्गमीटर), डी-21 (85 वर्गमीटर) डी-22 (85 वर्गमीटर) डी-01 (91.54 वर्गमीटर), सी-1 (128.35 वर्गमीटर) डी-36 (86.99 वर्गमीटर) डी-40 (112.59 वर्गमीटर) डी-44 (127.42 वर्गमीटर) डी-49 (87.53 वर्गमीटर) डी-54 (85 वर्गमीटर) सी-19 (99.75 वर्गमीटर) डी-28 (107.72 वर्गमीटर) डी-32 (109.80 वर्गमीटर) एवं सी-20 (99.75 वर्गमीटर) का विक्रय सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूखण्ड बन्धनमुक्त करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 14- प्रस्तुत विन्यास मानचित्र में प्राविधानित पहुँच मार्ग केवल मानचित्र में दर्शित भूखण्डों के लिये ही मान्य होगा एवं इस विन्यास मानचित्र का भाग होगा।
- 15- प्रस्तावित कालोनी में रेन वाटर हारवैस्टिंग का प्राविधान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

संलग्नक-स्वीकृत मानचित्र।

दिनांक- 13/9/2021



नगर मजिस्ट्रेट /
नियत प्राधिकारी के रूप में
नियत प्राधिकारी के रूप में
शाहजहाँपुर